

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्रस्तावधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० २८६]

नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर २८, १९७३/अग्राहायण ७, १८९५

No. 286] NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 28, 1973/AGRAHAYANA 7, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT

(Roads Wing)

RESOLUTION

New Delhi, the 28th November 1973

No. P. L.-30(215)/72.—In continuation of this Ministry's Resolution No. PL-30 (215)/72, dated the 20th August, 1973, the tenure of the Committee constituted in this Ministry's Resolution No. PL-30 (215)/72, dated the 23rd March, 1973 is hereby extended by another two months i.e. upto 27th January, 1974

ORDER

Ordered that copies of the Resolution be communicated to the Members of the Committee.

Also ordered that copies of the Resolution be communicated to all State Governments/Local Adms. PL/O Committee on Science and Technology (Department of Science and Technology); Council of Scientific and Industrial Research, Central Road Research Institute and also that it be published in the Gazette of India for general information.

J. S. MARYA,

Director General (Road Development) and Addt. Secy.

नीवहन और परिषहन मंत्रालय

(सङ्क पक्ष)

संकल्प

नई दिल्ली, 28 नवम्बर, 1973

सं० पी० एल०-30(215)/72.—इस मंत्रालय के संकल्प सं० पी० एल०-30 (215)/72, दिनांक 20 अगस्त, 1973 के क्रम में इस मंत्रालय के संकल्प सं० पी० एल०-30 (215)/72, दिनांक 23 मार्च, 1973 द्वारा संगठित समिति की कार्यवधि, एतद्वारा और दो महीने के लिये अर्थात् 27 जनवरी, 1974 तक बढ़ा दी जाती है।

[आदेश]

आदेश दिया जाता है कि संकल्प की प्रतियां समिति के सदस्यों को भेजी जाएं।

यह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प की प्रतियां सभी राज्य सरकारों/स्थानीय प्रशासनों / योजना आयोग/विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी समिति (विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग); वैज्ञानिक और प्रौद्योगिक अनुसंधान परिषद केन्द्रीय सङ्क अनुसंधान संस्थान को भी भेज दी जाएं और इसे सामान्य सूचना के लिये भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

जगदेव सिंह भाड़िया,

महानिदेशक (सङ्क विकास) तथा अपर सचिव।